UP-194247 दिनांक 05.09.2023 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

## कार्यालय उपजिलाधिकारी कालपी जनपद जालौन

पत्रांक 341/मत्स्य आखेट/नीलामी/2023-24 दिनांक: 04.09.2023

### मत्स्य आखेट नीलामी हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रिट याचिका संख्या- 31309/2018/मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के अनुपालन में जारी शासनादेश संख्या- 01/2019/33/एक-2-2019-19 (रिट)/2018 दिनांक- 10 जनवरी 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद जालौन की तहसील कालपी की सीमा में प्रवाहित यमुना नदी की जलधारा में वर्ष- 2023-24 में मत्स्य आखेट की दिनांक से लेकर दिनांक 31-08-2024 (प्रतिबन्धित अवधि 01 जून से 31 अगस्त को छोड़कर) तक मत्स्य आखेट पट्टा/नीलामी पर उठाये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में नीलामी तिथि-29-09-2023 को पूर्वाह्न 11 बजे उपजिलाधिकारी कालपी के तहसील सभागार में सम्पन्न की जायेगी। यदि किसी कारण वश नीलामी दिनांक 29-09-2023 को नहीं हो पाती है तो नीलामी 29-09-2023 को पूर्ण की भांति ही की जायेगी। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला जालौन स्थान उरई के वेबसाइट Jalaun-nic-in पर देखी जा सकती है। उपजिलाधिकारी कालपी जनपद जालौन द्वारा पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने के उपरान्त नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी महोदया जालौन स्थान उरई में निहित रहेगा।

(1) तहसील कालपी जनपद जालौन -

तहसील कालपी की सीमा में प्रवाहित यमुना नदी की जल धारा के अन्तर्गत खण्ड-1 ग्राम जीतापुर मुस्किल से ग्राम जीतापुर दिवारा आकिल आगने-सामने/आर-पार (कानपुर देहात की सीमा भी सम्मिलित है) तक दूरी 5.300 कि0मी0 (न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 10,78,000/-) (दस लाख अठहत्तर हजार रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 1.08 लाख(एक लाख आठ हजार रूपया मात्र) का बैंक ड्राफ्ट समिति के बैंक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड-2 ग्राम जीतापुर दिवारा (आकिल) से ग्राम सौनी दिवारा तक आमने-सामने/आर- पार (कानपुर देहात की सीमा भी सम्मिलित है) तक दूरी 15.000 कि0मी0 (न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 19,57,500/-) (उन्नीस लाख सत्तावन हजार पांच सौ रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 1.95 लाख (एक लाख पन्चानवे हजार रूपया मात्र) का बैंक ड्राफ्ट समिति के बैंक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड-3 ग्राम पाल से नरहरन दिवारा तक आमने-सामने/आर-पार (कानपुर देहात की सीमा भी सम्मिलित है) तक दूरी 15.630 कि0मी0 (न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 12,18,000/-) (बारह लाख दस हजार रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 1.21 लाख (एक लाख इकीस हजार रूपया मात्र) का बैंक ड्राफ्ट समिति के बैंक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड-4 ग्राम मगौल मुस्किल से ग्राम शेखपुर बुल्ला तक आमने-सामने/आर-पार (कानपुर देहात की सीमा भी सम्मिलित है) तक दूरी 13.540 कि0मी0 (न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 17,78,500/-) (सतरह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 1.78 लाख (एक लाख अठहत्तर हजार रूपया मात्र) का बैंक ड्राफ्ट समिति के बैंक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड-5 ग्राम रायड़ से ग्राम गुलौली दिवारा तक आमने-सामने/आर-पार (कानपुर देहात की सीमा भी सम्मिलित है) तक दूरी 5.000 कि0मी0 (न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 04,07,000/-) (चार लाख सात हजार रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.41 लाख (इकतालीस हजार रूपय मात्र) का बैंक ड्राफ्ट समिति के बैंक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड-6 ग्राम मदरालालपुर से ग्राम इकौना तक ( ग्राम मदरालालपुर में लगभग 500 मीटर पूर्व मन्दिर से पूर्व कुण्ड तक की दूरी में घाटे अवधि में मत्स्य आखेट नहीं किया जायेगा) आमने-सामने/आर-पार (कानपुर देहात की सीमा भी सम्मिलित है) तक दूरी 10.750 कि0मी0 (न्यूनतम आरक्षित मूल्य 7,31,500/-) (सात लाख इकतीस हजार पांच सौ रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.74 लाख (चौहत्तर हजार रूपय मात्र) का बैंक ड्राफ्ट समिति के बैंक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

कालपी तहसील परिक्षेत्रान्तर्गत ग्राम गेंडीखुर्द से ग्राम सुगहटा तक प्रवाहित बेतवा नदी की जलधाराकी दूरी 38 कि0मी0 है जिसमें पारासर ऋषि आश्रम से पैली आश्रम तक का क्षेत्र छोड़कर (न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 353100/-) (तीन लाख तिरेपन हजार एक सौ रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.36 लाख छत्तीस हजार रूपया मात्र) का बैंक ड्राफ्ट समिति के बैंक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

तहसील कालपी जनपद जालौन मत्स्य आखेट नीलामी तहसील सभागार कक्ष दिनांक-25-09-2023 में कराई जायेगी।

मत्स्य आखेट पट्टा/नीलामी हेतु पात्रता की शर्तें-

1-सक्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियों की पात्रता की वरीयता शासनादेश संख्या-1/2019/33/एक-2-2019-19 (रिट)/2018 दिनांक- 10 जनवरी 2019 के अनुसार होगी।

2-भाग लेने वाली समितियों को सम्बन्धित खण्ड की न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में पट्टा/नीलामी से पूर्व जमा करना होगा।

3-पट्टा/नीलामी से पूर्व सम्बन्धित तहसील से अदेयता प्रमाण-पत्र एवं मत्स्य विभाग से सक्रियता प्रमाण-पत्र देना होगा।

4-वरीयता प्राप्त समिति/सर्वोच्च बोलीदाता को नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत भाग तत्काल जमा करना होगा एवं अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। वरीयता प्राप्त समिति/सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा जमा धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी। यदि समिति द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका तो नीलामी स्वतःसमाप्त मानी जायेगी और धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

5-यदि सर्वोच्च बोलीदाता की नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत तत्काल जमा नहीं करता तो उसके द्वारा जमा जमानत धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर ली जायेगी एवं द्वितीय सर्वोच्च बोलीदाता के नाम मत्स्य आखेट ठेका देने हेतु विचार किया जा सकता है। खण्ड हेतु निर्धारित धनराशि सम्पूर्ण जमा करने पर मत्स्य आखेट ठेका की अनुमति प्रदान कि जायेगी तदोपरान्त स्टाम्प जमा करने पर अनुबन्ध पत्र जारी किया जायेगा।

6-मत्स्य आखेट हेतु तहसील कालपी में पट्टा/नीलामी दिनांक- 25-09-2023 से 31-08-2024 तक प्रतिबन्धित अवधि को छोड़कर) मान्य होगा नीलामी स्वीकृति /अस्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारी महोदया जनपद जालौन में निहित होगा।

7-पट्टे की नीलामी की समस्त धनराशि का लेन देन समिति के बैंक खाते से ही मान्य होगा।

इस नीलामी हेतु सक्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियां नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर प्रतिभाग कर सकती है। विस्तृत जानकारी एवं शर्तें हेतु सहायक निदेशक मत्स्य जालौन स्थान उरई के कार्यालय रामकुण्ड परिसर उरई आकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते है।

सहायक निदेशक मत्स्य
जालौन स्थान उरई

उपजिलाधिकारी
तहसील-कालपी जनपद-जालौन

UP-194264 दिनांक 06.09.2023 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

[illegible] की वेबसाइट [illegible] www.[illegible] पर उपलब्ध है।
वेबसाइट [illegible] पर उपलब्ध है।
नोट- विस्तृत [illegible] विज्ञप्ति/शर्तों विस्तृत प्राप्त के साथ संलग्न है।
दूरभाष -[illegible]

(विजय कुमार)
अधिशासी अधिकारी
[illegible] नगर पालिका परिषद उरई

UP- 194103 दिनांक 05.09.2023 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

## कार्यालय उपजिलाधिकारी उरई जनपद जालौन

पत्रांक 347/मत्स्य आखेट/नीलामी/2023-24 दिनांक: 04.09.2023

### मत्स्य आखेट नीलामी हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रिट याचिका संख्या- 31309/2018/मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के अनुपालन में जारी शासनादेश संख्या- 01/2019/33/एक-2-2019-19 (रिट)/2018 दिनांक- 10 जनवरी 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद जालौन की तहसील उरई की सीमा में प्रवाहित बेतवा नदी एवं नून मलंगा नदी की जलधारा में वर्ष- 2023-24 में नीलामी दिनांक से 31-09-2024 तक (प्रतिबन्धित अवधि को छोड़कर) मत्स्य आखेट पट्टा/नीलामी पर उठाये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में नीलामी तिथि- 27-09-2023 को पूर्वाह्न 11 बजे उपजिलाधिकारी उरई के तहसील सभागार में सम्पन्न की जायेगी। यदि किसी कारण वश नीलामी दिनांक 27-09-2023 को नहीं हो पाती है तो नीलामी 30-09-2023 को पूर्ण की भांति ही की जायेगी। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला जालौन स्थान उरई के वेबसाइट Jalaun-nic-in पर देखी जा सकती है। उपजिलाधिकारी उरई जनपद जालौन द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी महोदया जालौन स्थान उरई में निहित रहेगा।

(1) तहसील उरई जनपद जालौन -

तहसील उरई की सीमा में प्रवाहित बेतवा नदी एवं नून मलंगा नदी की जलधारा में निम्नलिखित खण्ड-

बेतवा नदी खण्ड संख्या-01 ग्राम दहरी, कुरौना, खरका, टीकर, गुढ़ा, बन्धौली, सिमिरिया तक दूरी 12 किलोमीटर न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 4,85400/- (चार लाख अठासी हजार चार सौ रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.50 लाख( पचास हजार रूपया मात्र) का बैंक ड्राफ्ट समिति के बैंक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड संख्या-02 ग्राम सिकरी घाट से रौदनगर तक दूरी 07 किलोमीटर न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 1,14400/- (एक लाख चौदह हजार चार सौ रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.15 लाख (पंदरह हजार रूपया मात्र) का बैंक ड्राफ्ट समिति के बैंक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड संख्या-03 ग्राम मुहाना से पट्टी ऐर तक कहटा, कमरा, मकरेश तक दूरी 08 किलोमीटर न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 1,37940/- (एक लाख सैंतीस हजार नौ सौ चालीस रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.15 लाख (पंदरह हजार रूपया मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड संख्या-04 नून मलंगा हरदोही गूजर से रगौली तक दूरी 18 किलोमीटर न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 0.80520/(अस्सी हजार पानसौ बीस रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.10 लाख (दस हजार रूपया मात्र) का बैंक ड्राफ्ट समिति के बैंक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

तहसील उरई जनपद जालौन मत्स्य आखेट नीलामी तहसील सभागार कक्ष दिनांक-27-09-2023 में करी जायेगी।

मत्स्य आखेट पट्टा/नीलामी हेतु पात्रता की शर्त -

1-सक्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियों की पात्रता की वरीयता शासनादेश संख्या-1/2019/33/एक-2-2019-19 (रिट)/2018 दिनांक- 10 जनवरी 2019 के अनुसार होगी।

2-भाग लेने वाली समितियों को सम्बन्धित खण्ड की न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत के रूप में पट्टा/नीलामी से पूर्व जमा करना होगा।

3-पट्टा/नीलामी से पूर्व सम्बन्धित तहसील से अदेयता प्रमाण-पत्र एवं मत्स्य विभाग से सक्रियता प्रमाण-पत्र देना होगा।

4-वरीयता प्राप्त समिति/सर्वोच्च बोलीदाता को नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत भाग तत्काल जमा करना होगा एवं अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। वरीयता प्राप्त समिति/सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा जमा धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी। यदि समिति द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका तो नीलामी स्वतःसमाप्त मानी जायेगी और धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

5-यदि सर्वोच्च बोलीदाता की नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत तत्काल जमा नहीं करता तो उसके द्वारा जमा जमानत धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर ली जायेगी एवं द्वितीय सर्वोच्च बोलीदाता के नाम मत्स्य आखेट ठेका देने हेतु विचार किया जा सकता है। खण्ड हेतु निर्धारित धनराशि सम्पूर्ण जमा करने पर मत्स्य आखेट ठेका की अनुमति प्रदान कि जायेगी तदोपरान्त स्टाम्प जमा करने पर अनुबन्ध पत्र जारी किया जायेगा।

6-मत्स्य आखेट हेतु तहसील कालपी में पट्टा/नीलामी दिनांक- 27-09-203 से 31-08-2024 तक (प्रतिबन्धित अवधि को छोड़कर) मान्य होगा नीलामी स्वीकृति /अस्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारी महोदया जनपद जालौन में निहित होगा।

इस नीलामी हेतु सक्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियां नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर प्रतिभाग कर सकती है। विस्तृत जानकारी एवं शर्तों हेतु सहायक निदेशक मत्स्य जालौन स्थान उरई के कार्यालय रामकुण्ड परिसर उरई आकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते है।

सहायक निदेशक मत्स्य
जालौन स्थान उरई

उपजिलाधिकारी
तहसील-उरई जनपद-जालौन

UP-194263 दिनांक 06.09.2023 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

Scanned with CamScanner